



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 14, 2018/वैशाख 24, 1940

No. 311]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 14, 2018/VAISAKHA 24, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2018

सं. 22/2018-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 450(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जिन्होंने प्ररूप जीएसटी टीआरएन-1 में घोषणा प्रस्तुत कर दी थी, किंतु 27 दिसंबर, 2017 को या उसके पूर्व सामान्य पोर्टल पर फाइल नहीं की थी, अक्टूबर, 2017 से अप्रैल, 2018 के प्रत्येक मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने में असफल रहने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस का, अधित्यजन करती है :

परंतु ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 10 मई, 2018 को या उसके पूर्व प्ररूप जीएसटी टीआरएन-1 में घोषणा और 31 मई, 2018 को या उसके पूर्व, उन प्रत्येक महीनों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी फाइल करेंगे।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पार्ट)]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th May, 2018

No. 22 /2018–Central Tax

G.S.R. 450(E).—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the late fee payable under section 47 of the said Act for failure to furnish the return in **FORM GSTR-3B** by the due date for each of the months from October, 2017 to April, 2018, for the class of registered persons whose declaration in **FORM GST TRAN-1** was submitted but not filed on the common portal on or before the 27th day of December, 2017:

Provided that such registered persons have filed the declaration in **FORM GST TRAN-1** on or before the 10th day of May, 2018 and the return in **FORM GSTR-3B** for each of such months, on or before the 31st day of May, 2018.

[F. No. 349/58/2017- GST (Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.